

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 145
TO BE ANSWERED ON 02.08.2023

MECHANISM TO INSPECT JAILS OR REMAND HOMES FOR WOMEN

145. SMT. SANGEETA YADAV:

Will the Minister of Women and Child Development be pleased to state:

- (a) whether there exists any mechanism to inspect jails or remand home for women prisoners by the Ministry/ National Commission for Women (NCW);
- (b) if so, the details thereof, if not, the reasons therefor;
- (c) whether any surprise inspection to check the condition of women prisoners is being carried out by Ministry/NCW;
- (d) if so, the details of such inspections carried out during the last three years along with the findings thereof, if not, the reasons therefor; and
- (e) the follow up action, if any, taken to improve the living conditions of women inmates in the prisons?

ANSWER

MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT
(SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI)

(a) to (e) : A Statement is laid on the Table of the House.

**STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PART (A) TO (E) OF RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 145 FOR 02.08.2023 ASKED BY SMT. SANGEETA
YADAV REGARDING 'MECHANISM TO INSPECT JAILS OR REMAND HOMES
FOR WOMEN'**

(a) to (e) : Prisons/ 'persons detained therein' is a "State List" subject under Entry 4 of List II of the Seventh Schedule to the Constitution of India. Administration and management of prisons is the responsibility of respective State Governments. However, agencies of central government inspect prisons from time to time to know the condition of prisoners and prisons. The Ministry of Women and Child Development undertook a study on the Status of Women in Prisons in India and published a report titled 'Women in Prisons, 2018' which contained recommendations such as improving mental health of inmates, improved access to legal aid, after-care programmes for reintegration and taking care of children of women inmates, special provision for pregnant women and better accommodation for new mothers etc. Ministry of Home Affairs (MHA) circulated the report to the Home/ Prison Department of all States and Union Territories for their careful perusal and implementation of the suggestions made in the report for the welfare of women prison inmates.

The Ministry of Home Affairs (MHA) has taken several initiatives to address the issue of overcrowding in prisons. Section 436A was inserted in the Code of Criminal Procedure (CrPC), which provides for release of an under-trial prisoner on bail on undergoing detention for a period extending up to one half of the maximum period of imprisonment specified for an offence under any law. The concept of plea bargaining was also introduced by inserting a new "Chapter XXIA" on "Plea Bargaining" (Sections 265A to 265L of CrPC) which enables pre-trial negotiation between the defendant and the prosecution. E-prisons Software, which is a Prison Management Application integrated with Interoperable Criminal Justice System provides facility to State Jail authorities to access the data of inmates and helps them in identifying inmates whose cases are due for consideration by the Under Trial Review Committee. State Legal Services Authorities have established Legal Service Clinics in Jails and have deployed Para Legal Volunteers to provide free legal assistance to persons in need. The Model Prison Manual 2016, prepared and circulated to States and UTs by MHA, has a dedicated Chapter on "Legal Aid" which provides guidance in the matter of under trial prisoners. MHA has also issued various advisories to the States & UTs for adopting appropriate measures to address the issue of overcrowding in prisons. These advisories are available on MHA's website.

Further, as per the National Commission for Women Act, 1990 (Act no20 of 1990), NCW inspects various jails/ other custodial homes in the country as part of functions entrusted to it under Section 10(1)(k). The inspections are carried out in association with the representatives of the State Women Commissions, DLSA and NGOs working in related areas. The emphasis of such inspections is on identifying deficiencies in terms of parameters that are considered necessary for ensuring that reasonable facilities in keeping with human dignity are provided to women in custodial homes. This is also done to set in motion a process of improvement in custodial homes, so that women housed in these places are not denied the basic minimum requirements in terms of adequate and balanced diet, water, accommodation, bedding, clothing, lighting heating, ventilation and open space. This also encompasses provision of adequate health care facilities, hygiene, sanitation and facilities for improving their outlook towards life empowering them through education and skill development so that the inmates can eventually be

integrated in the society and they can earn their livelihood with dignity after release from the prison.

During inspections of the Prisons and analysis of the information, the Commission noted prolonged incarceration of women inmates as under trials, with their period of detention ranging from 2 years to 10 years and in some cases even beyond. The Commission has taken up the matter with the National Legal Services Authority / State Legal Services Authority to ensure that legal assistance made available to the female inmates need to be more effective to expedite the trials within a reasonable time and take legal recourse to obtain bail to the women under-trials within a reasonable time by invoking the special dispensation available to them under Section 437 (1) (ii) of the CrPC. The Commission held an interactive session with Member Secretaries of SLISA on 15th October, 2019, and impressed upon them to ensure availability of quality legal aid to the women prisoners particularly in view of their poor socio-economic and educational background. Representatives / Secretaries of several SLISA participated in this interactive session.

During the COVID-19 pandemic period also, the Commission conducted online meeting/ video conferences with the stakeholders of Prisons and Psychiatric Homes, State Director General / Inspector General for Prisons to discuss the action taken by them on various recommendations by the Commission for improving the living conditions of women inmates in the wards / barracks of the prisons.

The details of the inspections of jails carried out by NCW during the year 2019, 2022 and 2023 are at **Annexure**.

ANNEXURE

ANNEXURE REFERRED TO IN REPLY TO THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO.145 FOR 02.08.2023 ASKED BY SMT. SANGEETA YADAV, HON'BLE MEMBER OF PARLIAMENT REGARDING 'MECHANISM TO INSPECT JAILS OR REMAND HOMES FOR WOMEN'.

Details of the inspections of jails carried out by NCW during the year 2019, 2022 and 2023:

Sr. No	Name of the Jail visited by NCW	Date of Inspection
1	Circle Jail Cuttack, Odisha	29.06.2019
2	District Jail, Kanpur Nagar Uttar Pradesh	10.07.2019
3	Central Jail Patna Beur, Bihar Circle	18.07.2019
4	Circle Jail Mysuru, Karnataka	19.07.2019
5	Central Jail, Bengaluru Karnataka	27.07.2019
6	District Jail, Gorakhpur U.P.	14.08.2019
7	District Jail Maharjanj, U.P	16.08.2019
8	Udaipur Central Jail	29.05.2022
9	Bhopal Central Jail	12.09.2022
10	Byculle Women Jail, Mumbai	21.11.2022
11	District Jail, Jowai	31.03.2022
12	District Jail – Shillong East Khasi Hills District	03.04.2023
13	District Jail – Shillong West Khasi Hills District	04.04.2023
14	District Jail- Mawsyntai- Marngar Ribhoi District	06.04.2023
15	Birsa Munda Central Jail, Ranchi Jharkhand	03.05.2023
16	District Jail- Tura, West Garo Hills District	10.05.2023
17	District Jail, North Garo Hills District	11.05.2023
18	District Jail- Dimapur Nagaland	17.05.2023
19	District Jail, Munger, Bihar	17.05.2023
20	Bhagalpur Central Jail, Bihar	19.05.2023
21	District Jail, perel, Nagaland	19.05.2023
22	District Jail, Mokochung, Nagaland	23.05.2023
23	Tihar Jail No- 06 for Women, Delhi	07.06.2023
24	District Jail, Pakud Jharkhand	26.06.2023
25	New Central Jail, Srinagar Jammu and Kashmir	28.06.2023
26	District Jail Sahebganj, Jharkhand	28.06.2023
27	Godda District Jail, Jharkhand	30.06.2023
28	Koriya District Jail, Chhattisgarh	05.07.2023

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *145

दिनांक 2 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

महिलाओं के लिए बनी जेल या सुधार गृह का निरीक्षण करने के लिए तंत्र

***145 श्रीमती संगीता यादव:**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या मंत्रालय/राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) द्वारा महिला कैदियों के लिए बनी जेलों या सुधार गृहों का निरीक्षण करने के लिए कोई तंत्र मौजूद है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या मंत्रालय/राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिला कैदियों की स्थिति की जांच करने के लिए कोई औचक निरीक्षण किया जा रहा है;
- (घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान हुए ऐसे निरीक्षणों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ) जेलों में बंद महिला कैदियों के रहन-सहन की स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई अनुवर्ती कार्रवाई की गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

‘महिलाओं के लिए बनी जेल या सुधार गृह का निरीक्षण करने के लिए तंत्र’ के संबंध में श्रीमती संगीता यादव द्वारा 02.08.2023 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 145 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ड): ‘जेलों/उनमें हिरासत में रखे गए व्यक्ति’ भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 4 के तहत एक "राज्य सूची" का विषय है। जेलों का प्रशासन और प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। हालांकि केंद्र सरकार की एजेंसियां समय-समय पर कैदियों और जेलों की स्थिति जानने के लिए जेलों का निरीक्षण करती रहती हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भारत में जेलों में महिलाओं की स्थिति पर एक अध्ययन किया और 'जेलों में महिलाएं, 2018' शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, कानूनी सहायता तक बेहतर पहुंच, महिला कैदियों के पुनःएकीकरण और बच्चों की देखभाल के लिए आफ्टर-केयर कार्यक्रम, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान और नई माताओं के लिए बेहतर आवास आदि जैसी सिफारिशें शामिल थीं। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने महिला जेल कैदियों के कल्याण के लिए रिपोर्ट में दिए गए सुझावों का सावधानीपूर्वक अध्ययन और कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के गृह/जेल विभाग को रिपोर्ट परिचालित की।

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने जेलों में भीड़भाड़ की समस्या के समाधान के लिए कई पहल की हैं। धारा 436क को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में शामिल किया गया था, जो किसी कानून के तहत अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक की अवधि के लिए हिरासत में रहने पर किसी विचाराधीन कैदी को जमानत पर रिहा करने का प्रावधान करता है। प्ली बार्गेनिंग (सीआरपीसी की धारा 265ए से 265एल) पर एक नया "अध्याय XXIA" डालकर प्ली बार्गेनिंग की अवधारणा भी प्रस्तुत की गई, जो प्रतिवादी और अभियोजन पक्ष के बीच जांच-पूर्व बातचीत को सक्षम बनाता है। अंतरसंचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली के साथ एकीकृत जेल प्रबंधन एप्लिकेशन, ई-प्रिज़न सॉफ्टवेयर, राज्य जेल अधिकारियों को कैदियों के डेटा तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है और उन्हें उन कैदियों की पहचान करने में मदद करता है जिनके मामलों पर अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी द्वारा विचार किया जाना है। राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों ने जेलों में कानूनी सेवा क्लिनिक स्थापित किए हैं और जरूरतमंद व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए पैरा लीगल स्वयंसेवकों को तैनात किया है। गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तैयार और वितरित मॉडल जेल मैनुअल 2016 में "कानूनी सहायता" पर एक समर्पित अध्याय है जो विचाराधीन कैदियों के मामले में मार्गदर्शन प्रदान करता है। गृह मंत्रालय ने जेलों में भीड़भाड़ की समस्या के समाधान के लिए उचित उपाय अपनाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न एडवाइजरी भी जारी की हैं। ये एडवाइजरी गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 की अधिनियम सं. 20) के अनुसार, राष्ट्रीय महिला आयोग धारा 10(1)(के) के तहत सौंपे गए कार्यों के भाग के रूप में देश की विभिन्न जेलों/अन्य हिरासत गृहों का निरीक्षण करता है। निरीक्षण राज्य महिला आयोगों, डीएलएसए और संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के सहयोग से किया जाता है। ऐसे निरीक्षणों में उन मापदंडों के संदर्भ में कमियों की पहचान करने पर जोर दिया जाता है जिन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक माना जाता है कि हिरासत गृहों में महिलाओं को मानवीय गरिमा के अनुरूप उचित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ऐसा हिरासत गृहों में सुधार की प्रक्रिया को गति देने के लिए भी किया जाता है, ताकि इन स्थानों पर रहने वाली महिलाओं को पर्याप्त और संतुलित आहार, पानी,

आवास, बिस्तर, कपड़े, प्रकाश से गर्मी, वेंटिलेशन और खुली जगह के संदर्भ में बुनियादी न्यूनतम जरूरतों से वंचित न किया जाए। इसमें शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने के लिए जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण में सुधार के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, स्वच्छता, सफाई और सुविधाओं का प्रावधान भी शामिल है ताकि कैदियों को अंततः समाज में एकीकृत किया जा सके और वे कारागार से रिहाई के बाद सम्मान के साथ अपनी आजीविका कमा सकें।

जेलों के निरीक्षण और सूचना के विश्लेषण के दौरान, आयोग ने पाया कि महिला कैदियों को विचाराधीन के रूप में लंबे समय तक कैद में रखा गया, उनकी हिरासत की अवधि 2 साल से 10 साल तक और कुछ मामलों में इससे भी अधिक थी। आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण/राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के समक्ष यह मामला उठाया है कि महिला कैदियों को उपलब्ध कराई जाने वाली कानूनी सहायता उचित समय के भीतर मुकदमे में तेजी लाने और सीआरपीसी की धारा 437(1)(ii) के तहत उन्हें उपलब्ध विशेष छूट को लागू करके उचित समय के भीतर विचाराधीन महिलाओं को जमानत प्राप्त करने के लिए कानूनी सहारा लेने के लिए अधिक प्रभावी होनी चाहिए। आयोग ने 15 अक्टूबर, 2019 को एसएलएसए के सदस्य सचिवों के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया और उनसे महिला कैदियों को विशेष रूप से उनकी खराब सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया। इस इंटरैक्टिव सत्र में कई एसएलएसए के प्रतिनिधियों/सचिवों ने भाग लिया।

कोविड-19 महामारी अवधि के दौरान भी, आयोग ने जेलों के वार्डों/बैरकों में महिला कैदियों की रहने की स्थिति में सुधार के लिए आयोग की विभिन्न सिफारिशों पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए जेलों और मनोरोग गृहों के हितधारकों, राज्य के जेल महानिदेशक/महानिरीक्षक के साथ ऑनलाइन बैठक/वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की।

वर्ष 2019, 2022 और 2023 के दौरान एनसीडब्ल्यू द्वारा किए गए जेलों के निरीक्षण का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

‘महिलाओं के लिए बनी जेल या सुधार गृह का निरीक्षण करने के लिए तंत्र’ के संबंध में श्रीमती संगीता यादव, माननीया संसद सदस्य द्वारा 02.08.2023 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 145 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

वर्ष 2019, 2022 और 2023 के दौरान एनसीडब्ल्यू द्वारा किए गए जेलों के निरीक्षण का विवरण:

क्र.सं.	एनसीडब्ल्यू द्वारा दौरा किए गए जेल का नाम	निरीक्षण की तारीख
1	सर्किल जेल कटक, ओडिशा	29.06.2019
2	जिला जेल, कानपुर नगर उत्तर प्रदेश	10.07.2019
3	सेंट्रल जेल पटना बेउर, बिहार सर्किल	18.07.2019
4	सर्किल जेल मैसूरु, कर्नाटक	19.07.2019
5	सेंट्रल जेल, बेंगलुरु कर्नाटक	27.07.2019
6	जिला जेल, गोरखपुर उ.प्र.	14.08.2019
7	जिला जेल महाराजगंज, उ.प्र.	16.08.2019
8	उदयपुर सेंट्रल जेल	29.05.2022
9	भोपाल सेंट्रल जेल	12.09.2022
10	भायखला महिला जेल, मुंबई	21.11.2022
11	जिला जेल, जोवाई	31.03.2022
12	जिला जेल - शिलांग पूर्वी खासी हिल्स जिला	03.04.2023
13	जिला जेल - शिलांग पश्चिम खासी हिल्स जिला	04.04.2023
14	जिला जेल- मावसिंताई- मर्नगार रिभोई जिला	06.04.2023
15	बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल, रांची झारखंड	03.05.2023
16	जिला जेल- तुरा, पश्चिम गारो हिल्स जिला	10.05.2023
17	जिला जेल, उत्तरी गारो हिल्स जिला	11.05.2023
18	जिला जेल- दीमापुर नागालैंड	17.05.2023
19	जिला जेल, मुंगेर, बिहार	17.05.2023
20	भागलपुर सेंट्रल जेल, बिहार	19.05.2023
21	जिला जेल, पेरेल, नागालैंड	19.05.2023
22	जिला जेल, मोकोचुंग, नागालैंड	23.05.2023
23	महिलाओं के लिए तिहाड़ जेल नंबर- 06, दिल्ली	07.06.2023
24	जिला जेल, पाकुड़ झारखण्ड	26.06.2023
25	न्यू सेंट्रल जेल, श्रीनगर जम्मू और कश्मीर	28.06.2023
26	जिला जेल साहेबगंज, झारखण्ड	28.06.2023
27	गोड्डा जिला जेल, झारखंड	30.06.2023
28	कोरिया जिला जेल, छत्तीसगढ़	05.07.2023

श्रीमती संगीता यादव : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि जेलों में बंद महिलाओं की दशा पर जो इंस्पेक्शन या औचक निरीक्षण होता है, उसकी रिपोर्ट महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय को भेजी जाती है, आज तक उनमें से कितने पर ऐक्शन हुआ है और उनमें से अभी कितनी पेंडिंग हैं?

DR. MUNJAPARA MAHENDRABHAI: Sir, 'prisons/persons detained therein' is a State List subject under Entry 4 of List II of the Seventh Schedule to the Constitution of India. मैंने अभी हाल ही में गुजरात में अपने डिस्ट्रिक्ट, सुरेन्द्रनगर की एक जेल के प्रिजनर्स को विजिट किया था। वहाँ महिलाओं की जो हालत है, उसके बारे में मैंने पूरा ब्यौरा लिया था। उनकी जो सोशल-साइकोलॉजिकल कंडीशन थी, उसमें उनमें से कुछ लोगों को स्किन डिजीज का इश्यू था, क्योंकि वे सब एक साथ गैदरिंग करती हैं। इसी तरह, उनके लिए जो कौशल ट्रेनिंग है, उसके लिए क्या किया जाता है, ये सब मैंने डिटेल से देखा है। लेकिन इनको जो नम्बर चाहिए, वह डिटेल में इनको अलग से भिजवा दूंगा।

श्रीमती संगीता यादव : माननीय सभापति जी, मैंने खुद भी दो जेलों में विजिट किया, उसके बाद ही यह क्वेश्चन लगाया है। जो सामान्य कारागार हैं, उनमें महिलाएँ भी बन्द हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि उनको महिला कारागार में शिफ्ट करने के लिए क्या कभी गृह मंत्रालय से अनुरोध किया गया है? अगर अनुरोध नहीं किया गया है, तो क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे? इसके अलावा, उन जेलों में महिलाओं के साथ जो बच्चे रह रहे हैं, क्या उनके लिए अलग से कोई व्यवस्था हो रही है?

डा. मुंजापारा महेन्द्रभाई : माननीय सभापति जी, वहाँ महिलाओं के साथ जो छोटे बच्चे रहते हैं, उनको 12 साल की उम्र तक प्रिजंस में महिलाओं के साथ ही रखा जाता है। बाद में, उनको या तो चिल्ड्रेन होम्स में रखते हैं अथवा जो दूसरी व्यवस्था है, वहाँ रखते हैं। जिन महिलाओं का कन्विकेशन ऑलरेडी आ गया है तथा जो महिलाएँ अभी अंडर ट्रायल हैं, उन दोनों को सैपरेट करने के लिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिस्मिशन ले रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो कुछ हो रहा है, वह महिला प्रिजनर्स के बेनिफिट के लिए ही किया जा रहा है।

श्रीमती दर्शना सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि देश में वर्तमान में महिला कैदियों की संख्या कितनी है तथा उनके जीवन-स्तर को बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

डा. मुंजापारा महेन्द्रभाई : माननीय सभापति जी, महिला प्रिजनर्स की जो संख्या है, वह स्टेट लिस्ट के अंडर आती है। उनकी बेहतरी के लिए हम बहुत सारे कदम उठाते हैं। सबसे पहले, जो महिलाएँ आगे पढ़ना चाहती हैं, उनके लिए हम एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था करते हैं। जिनको साइको-सोशल काउंसिलिंग की जरूरत है, उनको हम मेडिकल ट्रीटमेंट प्रदान

करते हैं। उसके बाद, वे वहाँ से निकलने के बाद भी अच्छे से अच्छा काम कर पाएँ, इसके लिए भारत सरकार की ओर से पूरा प्रयास हो रहा है।